संख्या 133/8 (8)-1980–राजस्व–1

प्रेषक,

श्री नरेश चन्द्र सक्सेना,
सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 6 जून, 1981।

विषय :––उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश 1981 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, 1981)

महोदय,

राजस्व अनुभाग––1

मुझे आप से यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायिका अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 1429/सत्रह–वि–1–58-81, दिनांक 3 जून, 1981 के अन्तर्गत उसी दिनांक के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग–2, खण्ड (क) में प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–3, 1981) द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों में कतिपय महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं :––

(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950।
(2) यू0 पी0 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901,
(3) जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956,
(4) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953,
(5) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 और
(6) उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976।

2––इस अध्यादेश के खण्ड 7 से 11 (क) तथा 14 से 25 के द्वारा विभिन्न राजस्व अधिनियमों में किये गये संशोधन वस्तुतः वही हैं, जो दिनांक 10 नवम्बर, 1980 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15, 1980 के खण्ड 2 से 18 द्वारा किये गये थे और जिनका आशय शासनादेश संख्या 4/1–1 (1)-1980–राजस्व–1 दिनांक 11 नवम्बर, 1980 द्वारा स्पष्ट किया गया था । उक्त अध्यादेश संख्या 15, 1980 का स्थान लेने वाला संशोधन विधेयक विधान मण्डल द्वारा विगत सत्र में संविधान द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पारित न हो सकने के कारण दिनांक 9 मार्च, 1981 को व्यपगत हो गया । अतएव कतिपय अन्य आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्राविधानों को समाविष्ट करके व्यपगत हुये अध्यादेश संख्या 15, 1980 के उपबन्धों को पुनर्जीवित करने के लिये इस अध्यादेश द्वारा विभिन्न राजस्व अधिनियमों में जो महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं, उनका आशय कार्यान्वियन में सुविधा हेतु नीचे संहत रूप से स्पष्ट किया जा रहा है ।

1––उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950––(क) अध्यादेश के खण्ड 2 द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122–ख में महत्वपूर्ण संशोधन करके गांवसभा तथा स्थानिक अधिकारियों में निहित भूमि पर अनधिकृत काबिज व्यक्तियों को बेदखली की वर्तमान प्रक्रिया को काफी सरल और प्रभावशाली बना दिया गया है । अब अनधिकृत काबिज व्यक्ति की बेदखली के लिये अनधिकृत कब्जे के दिनांक से 2 माह की अवधि, तक गांवसभा द्वारा कार्यवाही न किये जाने की प्रतीक्षा की जानी है । भूमि प्रबन्धक समिति या लेखपाल अथवा किसी अन्य स्रोत से गांवसभा में निहित भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर असिस्टेंट कलेक्टर संबंधित अनधिकृत काबिज व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा । अनधिकृत काबिज व्यक्ति द्वारा निर्धारित समय के अन्दर कारण न बताये जाने अथवा उसके द्वारा बताये गये कारण को अपर्याप्त पाये जाने की दशा में असिस्टेंट कलेक्टर अनधिकृत काबिज व्यक्ति की बेदखली तथा उससे क्षतिपूर्ति की वसूली किये जाने के आदेश पारित करेगा । असिस्टेंट कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण के लिये

आवेदन कर सकता है। कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा और उसके विरुद्ध आयुक्त/राजस्व परिषद् के समक्ष सन्दर्भ/निगरानी की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति, यदि चाहे तो, सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप गांव सभा में निहित भूमि पर अनधिकृत काबिज व्यक्ति की बेदखली की कार्यवाही जिला स्तर पर ही अंतिम रूप से सुनिश्चित की जा सकेगी। यह उल्लेखनीय है कि गांव सभा में निहित भूमि पर अनधिकृत काबिज व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली हेतु इस अध्यादेश के प्रख्यापन के दिनांक को, धारा 122–ख के अन्तर्गत जो कार्यवाहियां किसी न्यायालय में विचाराधीन थीं उन पर इन संशोधनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनका निस्तारण धारा 122–ख के पूर्व प्राविधानों के अनुसार ही किया जाता रहेगा। इसके लिए अध्यादेश के खण्ड 26 द्वारा आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है।

(ख) (1) अध्यादेश के खण्ड 3 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 157–क के स्थान पर नई धारायें 157–क, 157–ख तथा 157–ग प्रतिस्थापित की गई हैं। अब संशोधित धारा 157–क में से अनुसूचित आदिम जातियों का उल्लेख निकाल दिया गया है। इसका प्रभाव यह होगा कि अब धारा 157–क के प्राविधान केवल अनुसूचित जातियों के भूमिधर/असामी पर ही लागू होंगे। संशोधित धारा 157–क में प्रतिबन्धात्मक खण्ड जोड़कर यह भी प्राविधान कर दिया गया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अन्य जाति व्यक्ति के पक्ष में भूमि के अन्तरण की अनुमति कलेक्टर द्वारा उसी दशा में दी जायेगी जब कि अन्तरण करने वाले उक्त जाति वर्ग के खातेदार के पास 3 1/8 एकड़ से अधिक की जोत हो और अन्तरण के बाद भी उसके पास जो भूमि शेष रहे वह 3 1/8 एकड़ से कम न हो। यह प्राविधान पहले से ही उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 के नियम 143–ग में है, परन्तु उसके धारा 157-क के उपबन्धों से असंगत होने के कारण अध्यादेश के खण्ड 3 के द्वारा धारा 157–क में उसे रखा जा रहा है।

(2) अध्यादेश के खण्ड 3 द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में एक नई धारा 157–ख जोड़ कर अनुसूचित आदिम जातियों के भूमिधर या असामी द्वारा अपनी जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति के पक्ष में विक्रय दान, बन्धक या पट्टे द्वारा भूमि के संक्रमण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अब अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिधर या असामी नई धारा 157–ख तथा अध्यादेश के खण्ड 6 द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 169 के अनुसार अपनी भूमि को अपनी जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति के पक्ष में विक्रय दान, बन्धक वसीयत या पट्टे द्वारा संक्रमित नहीं कर सकेगा।

(3) अध्यादेश के खण्ड 3 द्वारा बढ़ाई गई धारा 157–ग के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिधर या असामी धारा 152 की उपधारा (3) में उल्लिखित परिस्थितियों में अपनी जोत या उसके भाग को कब्जा दिये बिना बन्धक रख सकता है। इस आशय के प्राविधान अधिनियम की पूर्व धारा 157–क के परन्तुक में पहले से ही थे, जिन्हें अब नई धारा 157–ग में स्वतंत्र रूप से उपबन्धित कर दिया गया है।

(ग) अध्यादेश के खण्ड 4 द्वारा जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 163 निकाल दी गई है और खण्ड 5 द्वारा धारा 166 और 167 को प्रतिस्थापित किया गया है। संशोधित धारा 166 के प्राविधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा और धारा 167 में ऐसे शून्य अन्तरण के परिणाम दिये गये हैं। अब अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन में किये गये अन्तरणों को शून्य घोषित कराने की कार्यवाही आवश्यक न होगी, बल्कि यदि अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन में कोई अन्तरण किया जाता है तो ऐसा अन्तरण स्वतः शून्य होगा और संशोधित धारा 167 के अनुसार ऐसे अन्तरण की विषय वस्तु अन्तरण के दिनांक से राज्य सरकार में निहित हो जायेगी जिस पर कलेक्टर बलपूर्वक कब्जा ले सकेगा और ऐसी भूमि पर अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्ति को बलपूर्वक बेदखल भी कर सकेगा।

(घ) जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 197 के अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति परगनाधिकारी के पूर्वानुमोदन से धारा 132 में उल्लिखित श्रेणी की भूमि धारा 198 (1) में निर्धारित वरीयताक्रम के अनुसार असामी के रूप में आवंटित कर सकती है। गांव सभाओं में निहित तालाब, पोखर तथा अन्य जलाच्छादित भूमि उक्त धारा 132 में उल्लिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आ जाती है जिसका उपयोग सामान्यतया गांव में रहने वाले केवटों, कहारों, कुम्हारों, मछुआरों, धोबी आदि के द्वारा ही अधिक किया जाता है, पर धारा 198 (1) में इन लोगों को कोई विशिष्ट वरीयता प्रदान नहीं की गई है। इस श्रेणी के व्यक्तियों के हितों को सुरक्षित करने तथा साथ ही उक्त प्रकार की भूमि की सार्वजनिक उपयोगिता हेतु उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि गांव सभा में निहित तालाबों, पोखरों व अन्य जलाच्छादित भूमि का आवंटन धारा 198 (1) में निर्धारित व वरीयता क्रम के अनुसार न किया जाय बल्कि उक्त प्रकार की भूमि के आवंटन के लिये नियमों के अन्तर्गत अलग से व्यवस्था कर दी जाय। नियमों में तदनुसार व्यवस्था किये जाने के निमित्त अध्यादेश के खण्ड 7 द्वारा अधिनियम की धारा 197 में एक नई उपधारा (2) बढ़ा कर राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 में संशोधन की कार्यवाही अलग से की जा रही है और नियमों में संशोधन की सूचना आपको यथाशीघ्र अलग से भेजी जायेगी।

(ङ) (1) अध्यादेश के खण्ड 8 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 198 की उपधारा (4), (4-क), और (5) की नयी उपधाराओं से दिनांक 18 अगस्त, 1980 से प्रतिस्थापित करके कतिपय महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं। अब अनियमित पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए कलक्टर 10 नवम्बर, 1980 के पूर्व किये गये अनियमित पट्टों के संबंध में उक्त दिनांक से दो वर्ष के भीतर और उक्त तिथि के बाद किये जाने वाले पट्टों के संबंध में पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेंगे। उक्त अवधियों के अन्तर्गत यथास्थिति नोटिस जारी होने पर पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही चलती रहेगी। पूर्व की भांति एक निश्चित अवधि तक पट्टे के निरस्त हो जाने का प्राविधान अब समाप्त कर दिया गया है। जिन मामलों में पूर्व प्राविधानों के अनुसार निरस्तीकरण की कायवाही 18 अगस्त, 1980 को विचाराधीन थी, उनके संबंध में अध्यादेश के खण्ड 8(5) के परन्तुक द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे मामलों में उक्त नोटिस की आवश्यकता न होगी और अध्यादेश के खण्ड 26 के अनुसार इस प्रकार के मामलों में अब इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। आपसे अनुरोध है कि कृपया 10 नवम्बर, 1980 के पूर्व किये गये अनियमित पट्टों की छानबीन कराकर उनके निरस्तीकरण हेतु उक्त दिनांक से दो वर्ष के भीतर कारण बताओ नोटिस का अवश्य जारी किया जाना तथा 18 अगस्त, 1980 के पूर्व चल रही पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाहियों के निस्तारण सुनिश्चित कर लें।

(2) वर्ष 1975-76 के भूमि आवंटन अभियान के दौरान जिन लोगों को गांवसभा में निहित सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित और अधिनियम की धारा 132 में उल्लिखित श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली भूमि सीरदार/असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में आवंटित कर दी गयी थी और जिसे निरस्त किये जाने की कार्यवाही इस समय कलेक्टर के न्यायालय में विचाराधीन है उसके संबंध में अध्यादेश के खण्ड 8 द्वारा धारा 198 में नयी उपधारा 19 जोड़ कर यह व्यवस्था कर दी गयी है कि सीरदार/असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के ऐसे पट्टे निरस्त नहीं किये जायेंगे बल्कि उन्हें उक्त पट्टों के आधार पर ही उस भूमि का असामी मान लिया जायगा तथा यह समझा जायगा कि ऐसा पट्टेदार उस भूमि को वर्षानुवर्ष धृत कर रहा है और उपरोक्त प्रकार के सीरदार/असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के पट्टे के निरस्तीरण की जो कार्यवाही विचाराधीन थी वह उपशमित हो जायगी। इस प्रकार के मामलों में पूर्व में दिये गये सीरदारी/असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के पट्टों को संशोधित करने भू-लेखों में पट्टेदारों के भौमिक अधिकारों, भौमिक श्रेणियों के संबंध में पूर्व में किये गये इन्द्राजों को संशोधित प्राविधानों के अनुसार ही संशोधित किये जाने के संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन के रेडियोग्राम संख्या—9090-1-2/080—रा—2, दिनांक 9 दिसम्बर, 1980 तथा मेरे अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या—10—3—57(9)/79—584-79—राजस्व—2, दिनांक 28 फरवरी, 1981 द्वारा यथोचित निदेश पहले ही दिये जा चुके हैं।

(च) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में दिनांक 21 जनवरी, 1978 से एक नई धारा 198—क जोड़ कर यह व्यवस्था की गई थी कि गांवसभा भूमि के आवंटी की भूमि पर बिना उसकी सहमति के यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से कब्जा कर लेता है तो परगनाधिकारी आवंटी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसे बलपूर्वक बेदखल कर सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति दुबारा अनधिकृत कब्जा कर लेता है, तो वह फौजदारी न्यायालय द्वारा कारावास या अर्थ दण्ड या दोनों से ही दण्डित किया जा सकेगा। अध्यादेश के खण्ड 9 द्वारा धारा 198—क के उक्त प्राविधानों को और अधिक कठोर बना दिया गया है। ऐसे मामलों में परगनाधिकारी अब स्वप्रेरणा से भी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और अनधिकृत कब्जे के प्रति आवंटी की सहमति का होना आवश्यक तत्व नहीं होगा। आवंटी द्वारा अनधिकृत काबिज व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिये जाने की तिथि 10 नवम्बर, 1980 के पूर्व किये गये किसी प्रदेशन की स्थिति में उक्त दिनांक से 3 वर्ष तक की रख दी गई है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि दुबारा अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति को कारावास से दण्डित किये जाने की न्यूनतम अवधि 6 माह से कम नहीं होगा और इ के साथ ही उसको न्यायालय द्वारा 3 हजार रुपये तक के अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया जायगा। अर्थ दण्ड वसूल होने पर ऐसा भाग, जो न्यायालय उचित समझे, पट्टेदार को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जा सकता है। इसी क्रम में यह विशेष उल्लेखनीय है कि अनधिकृत काबिज व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चल रही कार्यवाहियों के दौरान न्यायालय अनधिकृत काबिज व्यक्ति को सरसरी तौर पर बेदखल करके पट्टेदार को भूमि का कब्जा दिला सकता है।

(छ) (1) अध्यादेश के खण्ड 21 द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 की धारा 27 को संशोधित करके अतिरिक्त घोषित भूमि के पट्टेदारों की भूमि पर किये गये अवैध कब्जों व अवैध काबिजदारों के प्रति भी कार्यवाही की ऐसी ही व्यवस्था की गई है।

(2) गांव सभा तथा सीलिंग के आवंटियों की भूमि पर दुबारा कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही पूरी तत्परता के साथ सुनिश्चित किये जाने के लिये गृह सचिव के अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 89, ख/8—4—81, दिनांक 6 जनवरी, 1981 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निदेश दिये जा चुके हैं और गृह सचिव के उक्त अर्ध-शासकीय पत्र की प्रतियां समस्त जिलाधिकारियों तथा मंडलायुक्तों को भी पृष्ठांकित की गई हैं। समस्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों तथा प्रभारी पुलिस उपाधीक्षकों को सम्बोधित तथा समस्त पुलिस उप महानिरीक्षकों और पुलिस उपमहानिरीक्षकों विशेष जांच, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पृष्ठांकित पुलिस महानिरीक्षक के अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 7/1981, दिनांक 29 जनवरी, 1981 द्वारा भी इस आशय के निदेश दिये जा चुके हैं कि गांव सभा एवं सीलिंग भूमि के आवंटियों की भूमि पर

अनधिकृत रूप से दुबारा कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही पूरी तत्परता के साथ सुनिश्चित की जाय। पुलिस महानिरीक्षक के उक्त अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29 जनवरी, 1981 की एक प्रति सुगम संदर्भ हेतु संलग्न है। उपरोक्त प्राविधानों तथा निदेशों से यह दृढ़ता के साथ सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आवंटी को पट्टे पर दी गई अतिरिक्त घोषित अथवा गांवसभा में निहित भूमि पर कब्जा बनाये रखने में कोई कठिनाई न हो। उक्त संशोधनों के व्यापक प्रचार के साथ ही यह आवश्यक है कि सम्बन्धित तहसीलदारों/परगनाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि वे प्रश्नगत उपबन्धों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने में संकोच न करें और पुलिस अधिकारियों का सहयोग लेते हुये, जहां आवश्यक हो, अतिक्रमणकारी व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम फौजदारी न्यायालय में मुकदमा दायर करने के लिए तात्कालिक प्रभावी कार्यवाही करें।

(ज) अध्यादेश के खण्ड 10, 11, 14 तथा 15 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 201, 204, 287-क तथा 330 में कतिपय शाब्दिक एवं पारिणामिक संशोधन किये गये हैं और अध्यादेश के खण्ड (11) (ख) के द्वारा धारा 204 के अन्त में एक प्रतिबन्धात्मक खण्ड जोड़कर यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य द्वारा धृत किसी भूमि पर धारा 204 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार अर्जित नहीं हो सकेंगे।

(झ) अध्यादेश के खण्ड 12 द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 210 में एक प्रतिबन्धात्मक खण्ड जोड़कर यह व्यवस्था कर दी गई है कि किसी अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य द्वारा धृत भूमि पर, किसी व्यक्ति को, अनधिकृत कब्जे की अवधि के आधार पर कोई भौमिक अधिकार अर्जित नहीं हो सकेंगे।

(ट) (1) अध्यादेश के खण्ड 13 द्वारा जमीदारी विनाश अधिनियम, 1950 में एक नई धारा 211 जोड़कर महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। अनुसूचित आदिम जातियों को भूमि पर सबल वर्ग तथा समाज के प्रभावशाली लोगों द्वारा जबरन अनधिकृत रूप से कब्जा कर लेने की शिकायतें प्रायः प्राप्त होती रहती हैं, अनुसूचित आदिम जातियों के खातेदारों को संरक्षण देने के लिये उक्त नई जोड़ी गई धारा 211 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि अनुसूचित आदिम जाति के खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर कोई अन्य व्यक्ति अनधिकृत रूप से काबिज हो तो असिस्टेंट कलेक्टर, खातेदार के प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर अथवा स्वतः अनधिकृत काबिज व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् भूमि का कब्जा अनुसूचित आदिम जाति के खातेदार को दिला सकता है। यदि वह व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लेता है तो वह कम से कम 6 माह की कारावास की सजा और 1,000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा। अनधिकृत काबिज व्यक्ति को दण्डित करने वाला न्यायालय अनधिकृत काबिज व्यक्ति को सरसरी तौर पर बेदखल कर कब्जा अनुसूचित आदिम जाति के खातेदार को दिलायेगा। ऐसे अपराध को संज्ञेय (cognizable) और अमानती बना दिया गया है।

(2) जिला नैनीताल के तराई क्षेत्रों और जिला पौड़ी गढ़वाल के कतिपय क्षेत्रों में थारु और बुक्सा आदिम जातियों की भूमि पर गैर आदिम जाति के व्यक्तियों द्वारा जबरन अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने की शिकायतें विशेष रूप से हैं। यह अनधिकृत काबिज व्यक्ति सभी दृष्टिकोण से सक्षम एवं बलवान हैं और अनुसूचित आदिम जातियों की भूमि पर उनके अवैध कब्जों को बलपूर्वक हटा कर भूमि का कब्जा अनुसूचित आदिम जाति के खातेदारों को दिलाने के लिए आवश्यकतानुसार पुलिस/पी0ए0सी0 की भी सहायता लेनी पड़ सकती है। अतः अनुरोध है कि आप कृपया अपने जिले में इस बात की छानबीन करा लें कि जो भूमि अनुसूचित आदिम जातियों के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं, उस भूमि पर मौके पर अनुसूचित आदिम जाति का संबंधित खातेदार काबिज है अथवा नहीं। यदि राजस्व अभिलेखों में अनुसूचित आदिम जाति के नाम भूमि अंकित है, परन्तु मौके पर अन्य व्यक्ति अनधिकृत रूप से काबिज है तो ऐसे मामलों में खातेदार के आवेदन-पत्र पर अथवा स्वप्रेरणा से भी ऐसी भूमि से अनधिकृत काबिज व्यक्ति को बलपूर्वक बेदखल करके भूमि का कब्जा अनुसूचित आदिम जाति के संबंधित खातेदार को दिलाया जाना सुनिश्चित कर लें। यदि इस कार्य के लिये स्थानीय पुलिस/पी0ए0सी0 की सहायता अपेक्षित हो तो आवश्यकतानुसार पुलिस/पी0ए0सी0 की सहायता लेने में कोई उदासीनता न बरती जाय। इन प्राविधानों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाय तथा संबंधित तहसीलदारों/परगनाधिकारियों को भी यह निदेश दे दिये जांय कि उपर्युक्त प्राविधानों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने में संकोच न करें तथा जहां आवश्यक हो अनधिकृत काबिज व्यक्ति को बलपूर्वक बेदखल करके अनुसूचित आदिम जाति के खातेदार को कब्जा दिलाने तथा अनधिकृत काबिज व्यक्ति के विरुद्ध फौजदारी न्यायालयों में मुकदमा दायर करने के लिए तात्कालिक कार्यवाही करें।

2—<u>यू0पी0 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901</u>—यू0पी0 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 33(4) को उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1976) के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उक्त धारा 33(4) के स्पष्टीकरण में उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1977) के द्वारा कतिपय शाब्दिक एवं पारिणामिक संशोधन किये गये थे, जिनसे स्थिति में कुछ अस्पष्टता थी। अतः अध्यादेश के खंण्ड 16 के द्वारा धारा 34(3) को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश के खंड 17 द्वारा धारा 183 में शाब्दिक संशोधन किये गये हैं।

3--जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956--(क) अध्यादेश के खड 18 के द्वारा जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 36 में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं और उन्हें 1 जुलाई, 1976 से प्रभावी किया गया है। इस संशोधन के दो भाग हैं। प्रथम तो यह कि ऐसे क्षेत्र में, जहां जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 लागू है, मालगुजारी अवधारण के प्रयोजनों के लिए डेढ़ एकड़ भूमि की गणना एक एकड़ के बराबर की जायेगी। इसका अर्थ यह होगा कि प्रदेश में प्रचलित न्यूनतम और अधिकतम दरों को दृष्टि में रखते हुए जो मालगुजारी उक्त क्षेत्र में किसी खाते की निकलेगी, उसके दो तिहाई के बराबर धनराशि ही मालगुजारी के रूप में निर्धारित होगी। संशोधन का दूसरा भाग उक्त क्षेत्र के ऐसे स्थानीय भाग के संबंध में है जहां मूल अधिनियम के अध्याय दो के अधीन किये गये बन्दोबस्त के समय स्वीकृत लगान की अधिकतम दर एक रुपया प्रति एकड़ से अधिक नहीं है। ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 245 में वर्णित असिंचित भूमि की न्यूनतम और अधिकतम दरें क्रमशः 3 रुपये और 5 रुपये प्रति एकड़ तथा सिंचित भूमि के संबंध में यह दरें क्रमशः 6 रुपये और 10 रुपये प्रति एकड़ होंगी। इन परिवर्तित दरों के साथ ही ऐसे स्थानीय क्षेत्र में डेढ़ एकड़ बराबर एक एकड़ का भी सिद्धांत लागू होगा और इसका फल यह होगा कि असिंचित भूमि की प्रभावी न्यूनतम दर ऐसे स्थानीय क्षेत्र में दो रुपये प्रति एकड़ तथा अधिकतम दर तीन रुपये तैंतीस पैसे प्रति एकड़ आयेगी और सिंचित भूमि के लिए ये दरें क्रमशः चार रुपये और 6 रुपये छियासठ पैसे प्रति एकड़ होगी। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में जहां उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1976), जिसके द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1976 से मालगुजारी की दरों का अभिनवीकरण किया गया था, उनमें इस अध्यादेश के खंड 18 द्वारा किये गये संशोधनों के आधार पर सावधानीपूर्वक कार्यवाही अपेक्षित होगी।

(ख) इस संबंध में मुझे यह भी अनुरोध करना है कि आप कृपया भली प्रकार सुनिश्चित कर लें कि प्रश्नगत क्षेत्र में मालगुजारी निर्धारण के विवरण-पत्र उपरोक्त संशोधनों के अनुसार सही रूप में बनाये जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए यह उचित होगा कि उक्त क्षेत्र के कतिपय गांवों के कुछ विवरण-पत्रों की जांच आप स्वयं करें तथा परगनाधिकारी व अन्य राजस्व अधिकारियों की जांच का प्रतिशत नियत कर दें। इस संदर्भ में विशेष सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित करना होगा कि मालगुजारी की दरों के प्रयोग सिंचित-असिंचित भूमियों का निर्धारण और गणना करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

(ग) इस संबंध में मुझे यह भी सूचित करना है कि प्रश्नगत क्षेत्र में मालगुजारी की वसूली शासनादेश संख्या 22-1-1(3)/77-राजस्व-1, दिनांक 14 मार्च, 1977 तथा 1364/राजस्व-1-1979, दिनांक 16 अप्रैल, 1979 के द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 1 जुलाई, 1976 से 30 जून, 1980 तक की बकाया मालगुजारी एक साथ वसूलने में काश्तकारों को कठिनाई हो सकती है। इसलिये जिन मामलों में आप इस बात से संतुष्ट हों कि एकमुश्त वसूली में काश्तकारों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, उन मामलों में आप 1 जुलाई, 1976 से 30 जून, 1977 तक की अवधि के लिए खातेदारों द्वारा देय मालगुजारी और भूमि विकास कर की बकाया धनराशि तथा 1 जुलाई, 1977 से 30 जून, 1980 तक की अवधि के लिए 3 1/8 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले खातेदारों द्वारा देय मालगुजारी की बकाया धनराशि की वसूली 8 समान छमाही किस्तों में वसूल किये जाने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

4--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953--(क) चकबन्दी कार्यवाहियों में बढ़ती हुई निगरानियों की संख्या प्रतिबन्धित करने तथा कार्यवाहियों में होने वाले अनावश्यक और परिहार्य विलम्ब बचाने के उद्देश्य से अध्यादेश के खंड 19 द्वारा जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 48 में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि धारा 48 के अन्तर्गत किसी अन्तर्वर्ती आदेश के विरुद्ध कोई निगरानी दायर न की जा सके। इस संशोधन का कोई प्रभाव उन निगरानियों पर न पड़ेगा जो इस संशोधन के प्रचलन के दिनांक (अर्थात् 10 नवम्बर, 1980) को दायर की जा चुकी थी।

(ख) अध्यादेश के खंड 20 द्वारा जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 49 में एक प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़कर यह व्यवस्था कर दी गई है कि जहां जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत किसी भूमि का कब्जा गांव सभा को दिया गया हो, या दिया गया समझा गया हो, वहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122-ख के अन्तर्गत असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा ऐसी भूमि पर अनधिकृत काबिज व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही करने के लिए जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 49 के प्राविधान बाधक नहीं होंगे।

5--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1950--अध्यादेश के खंड 21 द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम की धारा 27 को संशोधित करके उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि के आवंटियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए वैसी ही व्यवस्था कर दी गई है जैसी कि गांव सभा भूमि के आवंटियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198-क के द्वारा की गई है।

6--उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976--अध्यादेश के खंड 22, 23, 24 तथा 25 द्वारा उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 में कतिपय संशोधन किये गये हैं। अध्यादेश के खड 25 के द्वारा मूल अधिनियम में द्वितीय अनुसूची बढ़ा

दी गई है जिसमें उन ग्रामों को सम्मिलित किया गया है जो बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अन्तरित होकर आये हैं किन्तु बिहार राज्य से इन ग्रामों के संबंध में अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। अभिलेख उपबन्ध न होने के कारण संबंधित ग्रामों में भूमि के अध्यासियों के भौमिक अधिकारों को मान्यता दिये जाने के संबंध में कठिनाई उत्पन्न हो जाने के कारण अभिलेख क्रियाओं के दौरान अध्यासियों को वर्ग–4 में दर्ज किया गया है जिसके कारण राज्य सरकार को मालगुजारी की हानि हो रही है। अतः अध्यादेश के खंड 24 के द्वारा उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976, जिसके द्वारा बिहार से अन्तरित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के कानूनों का विस्तार किया गया था, में एक नई धारा 3-क जोड़कर यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 के प्रचलन के दिनांक को अर्थात् 15 अक्टूबर, 1976 को और दिनांक 10 नवम्बर, 1980 को द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों में से किसी ग्राम में स्थिति किसी भूमि पर अध्यासित रहा है तो ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 132 में उल्लिखित श्रेणी की भूमि से भिन्न भूमि की दशा में उस भूमि का संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा और उक्त धारा 132 में उल्लिखित श्रेणी की भूमि की दशा में उस भूमि का असामी हो जायेगा।

3––प्रश्नगत संशोधनों के फलस्वरूप संबंधित राजस्व अधिनियमों के अन्तर्गत बनी नियमावलियों के संबंधित नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है जिसकी सूचना आपको यथासमय अलग से दी जायेगी।

4––उपरोक्त सभी संशोधन आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों की एक विशेष बैठक करके उपरोक्त संशोधनों का आशय भली-भांति स्पष्ट कर दें जिससे संबंधित अधिनियम का क्रियान्वयन संशोधित प्राविधानों के अनुसार तत्काल सुनिश्चित किया जा सके।

5––अध्यादेश व इन निदेशों की अतिरिक्त मुद्रित प्रतियां आपको शीघ्र भेजी जायेंगी। अध्यादेश की एक प्रति संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

नरेश चन्द्र सक्सेना,
सचिव।

संख्या 133(1)/8(8)-1980–रा–1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि––

1––सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अध्यादेश की तीन प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया संशोधित प्राविधानों के संबंध में यथा आवश्यकता समय-सारिणी निर्धारित करें तथा उनका प्रभावी कार्यान्वियन सुनिश्चित करें।

2––समस्त मंडलायुक्तों को अध्यादेश की एक-एक प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने मंडल में संशोधित प्राविधानों के शीघ्र एवं प्रभावी कार्यान्वियन पर कड़ी दृष्टि रखें और आवश्यक विन्दुओं पर पुलिस उपमहानिरीक्षकों से सहयोग लेते हुए यह सुनिश्चित करें कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता न हो

आज्ञा से,

नरेश चन्द्र सक्सेना,
सचिव।

संख्या 133 (2)/8 (8)–1980–रा–1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को अध्यादेश की एक-एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ––

1––चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2––कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3––गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

4––सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

5––सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

6––पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7––समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षत्र, उत्तर प्रदेश।

8--पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष जांच, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

9--समस्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

10--समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

11--निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,

नरेश चन्द्र सक्सेना,
सचिव ।

संख्या 133(3)/8(8)-1980-रा-1 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अध्यादेश की एक-एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1--निदेशक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, मंसूरी ।

2--निदेशक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल ।

3--निदेशक, उत्तर प्रदेश पर्यवेक्षण एवं भू-लेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई ।

4--समस्त, प्रधानाध्यापक, लेखपाल विद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

5--राजस्व सचिव शाखा के समस्त अधिकारीगण एवं शाखा के समस्त अनुभाग ।

6--राजस्व मंत्री जी के निजी सचिव ।

आज्ञा से,

गोपाल कृष्ण शुक्ल,
उप सचिव ।

प्रतिलिपि

अ0 शा0 परि0 सं0-7/1981

पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश

दिनांक, लखनऊः 29 जनवरी, 1981

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15,1980), जिसका उल्लेख राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण गजट क्रम-संख्या 556(क) दिनांक 10 नवम्बर, 1980 में हुआ है एवं विशेषतः इस अध्यादेश के उन उपबन्धों जिनके द्वारा हरिजन एवं समाज के अन्य निर्बल वर्गो के भू-आवंटियों के हितों की सुरक्षा के प्राविधान किये गये हैं, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । आप पहले से ही अवगत हैं कि इस अध्यादेश के निर्गत होने के पूर्व ही जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198-ए के अनुसार गांव सभा की आवंटित भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी बार अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने पर पुलिस द्वारा हस्त-क्षेपीय अपराध मानकर विवेचनोपरान्त न्यायालय भेजे जाने तथा दोष सिद्ध होने पर ऐसे अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना, अथवा दोनों से दण्डित किये जाने की व्यवस्था थी । उक्त आध्यादेश संख्या 15, 1980 द्वारा इस प्राविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं । उदाहरणार्थ, दूसरी बार अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा अधिकतम दण्ड की सीमा (3 वर्ष) पूर्ववत् रहते हुए भी, कम से कम 6 माह के कारावास तथा जुर्माना, जिसकी अधिकतम सीमा 3,000 रुपये है, दोनों से ही दण्डित किये जाने का प्राविधान है । इसी प्रकार की कार्यवाही सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त एवं आवंटित अतिरिक्त भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किये जाने का प्राविधान संदर्भित अध्यादेश में किया गया है ।

2--प्रस्तुत अध्यादेश द्वारा किये गये संशोधनों का विस्तृत उल्लेख राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 4/1-1(1)/1980-राजस्व-1 दिनांकित 11 नवम्बर, 1980 के प्रस्तर-"ग" एवं "घ" में किया गया है । सुविधा की दृष्टि से इन्हें नीचे उद्धृत किया जाता है :--

(ग) मूल अधिनियम में दिनांक 21 जनवरी, 1978 से एक नयी धारा 198-क जोड़कर यह व्यवस्था की गयी थी कि गांव सभा भूमि के आवंटी की भूमि पर बिना उसकी सहमति के यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेता है तो परगनाधिकारी आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर उसे बलपूर्वक बेदखल

कर सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति दुबारा अनधिकृत कब्जा कर लेता है, तो वह फौजदारी न्यायालय द्वारा कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से ही दण्डित किया जा सकेगा। अध्यादेश के खण्ड–4 के द्वारा धारा 198–क के उक्त प्राविधानों को और अधिक कठोर बना दिया गया है। ऐसे मामलों में परगनाधिकारी अब स्वप्रेरणा से भी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और अनधिकृत कब्जे के प्रति आवंटी की सहमति का होना आवश्यक तत्व नहीं होगा। आवंटी द्वारा अनधिकृत काबिज व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिये जाने की तिथि इस अध्यादेश के प्रचलन से 3 वर्ष तक की रख दी गयी है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि दुबारा अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति को कारावास से दण्डित किये जाने की न्यूनतम अवधि 6 माह से कम नहीं होगी और इसके साथ ही अनधिकृत काबिज व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 3,000 रुपये तक के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जा सकता है और अर्थदण्ड वसूल होने पर न्यायालय द्वारा इसका ऐसा भाग जो न्यायालय उचित समझे, पट्टेदार को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जा सकता है। इसी क्रम में यह विशेष उल्लेखनीय है कि अनधिकृत काबिज व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चल रही कार्यवाहियों के दौरान न्यायालय अनधिकृत काबिज व्यक्ति को सरसरी तौर पर बेदखल करके पट्टेदार को भूमि का कब्जा दिला सकता है।

(घ) अध्यादेश के खण्ड 24 द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 को संशोधित कर अतिरिक्त घोषित भूमि के पट्टेदारों की भूमि पर किये गये अवैध कब्जों एवं अवैध काबिजदारों के प्रति भी कार्यवाही की ऐसी ही व्यवस्था की गयी है।

3––ये निर्देश अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनका सम्बन्ध समाज के अत्यन्त दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा से है। अतः यह परम आवश्यक है कि आप स्वयं इन निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इनके विषय में स्पष्ट रूप से समझा दें जिससे वांछित कार्यवाही किये जाने में कोई संदेह न रह जाए। इन निर्देशों के दृढ़तापूर्वक अनुपालनार्थ आपके स्तर पर निम्न प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित होगी :––

(1) किसी व्यक्ति द्वारा गांव समाज अथवा सीलिंग से प्राप्त एवं आवंटित अतिरिक्त भूमि पर पहली बार अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने पर परगनाधिकारी द्वारा बलपूर्वक ऐसे कब्जे को हटाने का प्राविधान है। आप अवगत ही हैं कि कुछ माह पूर्व राज्य स्तर पर इस प्रकार के अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों को सहायता भी दी गयी थी। इसी प्रकार की सहायता राजस्व अधिकारियों (परगनाधिकारी आदि) द्वारा मांगे जाने पर भी दी जाना चाहिये। संबंधित थानों में इस संदर्भ में मांगी गयी सहायता, दी गई सहायता तथा उसके परिणाम (अनधिकार कब्जा हटाने संबंधी) की सूचना भी अंकित की जानी चाहिये। संकलित रूप में यह सूचना प्रत्येक माह की दूसरी तारीख तक जिला हरिजन प्रकोष्ठ में भी थानों द्वारा अवश्य ही उपलब्ध करा दी जानी चाहिये जिससे पूरे जनपद की स्थिति का आंकलन लगाया जा सके। थानाध्यक्षों एवं क्षेत्राधिकारियों आदि का सतत एवं निकटतम सम्पर्क सबंधित राजस्व अधिकारियों से होना चाहिये जिससे अनधिकृत कब्जा हटाये जाने संबंधी सूचना की पूर्ण सत्यता एवं शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।

(2) जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, दूसरी बार अनधिकृत कब्जा किये जाने पर पुलिस द्वारा हस्तक्षेपीय अभियोग का प्राविधान है। इस प्रकार के पंजीकृत अभियोगों की विवेचना पूर्ण तत्परता से की जानी चाहिये। हरिजनों द्वारा अहरिजनों के विरुद्ध पंजीकृत कराये गये अभियोगों की विवेचना 14 दिनों के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने के निर्देश आपको पहले ही दिये जा चुके हैं। यहां यह उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों दोनों ही द्वारा हरिजनों द्वारा अहरिजनों के विरुद्ध अंकित कराये गये अभियोगों की विवेचना 14 दिनों के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने पर विशेष बल दिया गया है तथा बार बार दिया जा रहा है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों, जो कि स्पष्टतः बहुत ही कम होंगी, में विवेचना दो माह के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की लिखित अनुमति आप द्वारा दी जा सकती है। धारा 198–क के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में प्रत्यक्षतः कोई भी जटिलता नहीं प्रतीत होती है। ऐसे अभियोगों की विवेचना मुख्यतः भू-आलेखों के निरीक्षण एवं मौखिक साक्ष्य के विश्लेषण पर आधारित होगी। अतः निर्दिष्ट अवधि अर्थात् 14 दिनों के अन्तर्गत इनकी विवेचना पूर्ण किये जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई की अनुभूति नहीं होनी चाहिये। आप तथा आपके क्षेत्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि निकटतम पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन द्वारा विवेचना संबंधी उक्त निर्देश का दृढ़ता से अनुपालन करायेंगे। एतदर्थ थानों के आकस्मिक निरीक्षणों के मध्य तथा प्रत्येक 15 दिनों के अन्तराल पर अर्थात् माह में दो वार जिले के हरिजन प्रकोष्ठ में उपलब्ध थानावार सूचना का मूल्यांकन अवश्य ही कर लिया करें। जब कभी भी अधीनस्थ अधिकारियों एवं विशेषतः थानाध्यक्षों एवं उप निरीक्षकों से मिलने का अवसर प्राप्त हो उनसे इस प्रकार के अभियोगों की प्रगति के विषय में अवश्य ही पूछ लिया करें। प्रत्येक माह में आयोजित अपराध गोष्ठी में इस प्रकार के अभियोगों की समीक्षा भी की जानी चाहिये।

4––शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि धारा 198–क के प्राविधानों के अन्तर्गत दुबारा कब्जा करने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा अनेक मामलों में इस आधार पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है कि प्रथम सूचना अंकित कराये जाने के पश्चात् संबंधित व्यक्ति ने अनाधिकार कब्जा छोड़ दिया है। शासन द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि अनधिकृत रूप से दुबारा कब्जा करते ही संबंधित व्यक्ति अपराध कर चुका होता है और वह उसके

दण्ड से इस आधार पर मुक्त हो जाना नहीं समझा जा सकता है कि उसने प्रथम सूचना अंकित कराये जाने के पश्चात् ऐसा कब्जा छोड़ दिया है। अतः ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विवेचनोपरान्त अभियोजन की कार्यवाही पूर्ण तत्परता के साथ सुनिश्चित की जानी चाहिये। शासन के इस निर्णय से आप अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों एवं विशेषतः थानाध्यक्षों एवं अन्य उप निरीक्षकों को स्पष्टतः अवगत करा दें जिससे भविष्य में तद्नुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

5—इस प्रकार के अभियोगों की विवेचना एवं अभियोजन में वांछित तत्परता लाये जाने हेतु यह आवश्यक समझा जाता है कि इस प्रकार के प्रत्येक अभियोग को विशेष प्रतिवेदन की मान्यता दी जाय तथा प्रगति से पुलिस उप-महानिरीक्षक परिक्षेत्र/विशेष जांच को निश्चित रूप से अवगत कराया जाय। विशेष जांच प्रकोष्ठ में पूर्ववत् रेडियोग्राम द्वारा ऐसे अभियोगों की सूचना भेजी जाती रहे तथा अलग से विशेष प्रतिवेदन एवं प्रगति आख्याओं की प्रतियां भी नियमानुसार भेजी जायं।

6—अभियोजन में तत्परता सुनिश्चित किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि माह में कम से कम एक बार संबंधित अभियोजन अधिकारी, विवेचक एवं क्षेत्राधिकारी के साथ विस्तृत विचार-विमर्श कर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय।

7—धारा 198-क जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अनधिकृत कब्जा हटाये जाने हेतु मांगी/दी गयी सहायता तथा उसके परिणाम, दुबारा अनधिकृत कब्जा किये जाने पर पंजीकृत कराये गये हस्तक्षेपीय अभियोगों की विवेचना/अभियोजनात्मक स्थिति की राज्य स्तर पर मासिक समीक्षा किये जाने हेतु यह परम आवश्यक है कि विशेष जांच प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित प्रपत्र संख्या 20 (क, ख, ग) (संलग्न) में वांछित सूचना आप द्वारा इस प्रकार भेजी जाय कि वहां प्रत्येक माह की 7वीं तारीख को अवश्य ही उपलब्ध हो जाय। इस सम्बन्ध में बरती गयी असावधानी क्षम्य नहीं होगी।

समस्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ0 प्र0

समस्त पुलिस अधीक्षक, उ0 प्र0

समस्त पुलिस उपाधीक्षक प्रभारी, उ0 प्र0।

भवदीय,

ह0 महेन्द्र सिंह,

प्रतिलिपि समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इन निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन अपने अधीनस्थ पुलिस अधीक्षकों द्वारा सुनिश्चित करायें तथा जब कभी भी वे जनपदों में जायं, तो संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण तथा पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्शोपरान्त अपने को अवश्य ही आश्वस्त कर लिया करें कि इन निर्देशों के अनुपालनार्थ वांछित कार्यवाही की जा रही है।

प्रतिलिपि पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष जांच एवं उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रपत्र 20 (क)

अनुसूचित जाति/जन जाति के भूमि विवाद संबंधी जनपद की माह की सूचना

संख्या मुकदमा जिनमें धारा 198-ए (1) जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन जाति को भूमि पर कब्जा दिलाने हेतु राजस्व अधिकारियों द्वारा—		दी गयी पुलिस सहायता (अवैध, कब्जा हटाने संबंधी) का परिणाम
पुलिस सहायता मांगी गई	पुलिस सहायता दी गयी	
1—आलोच्य माह में		
2—इस वर्ष अब तक		

प्रपत्र 20 (ख) विवेचना संबंधी

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के भूमि विवाद संबंधी जनपद की माह की सूचना

धारा 198–ए (3) जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम के आलोच्य माह की पहली तारीख को पुलिस के पास विवेचनाधीन पिछले कुल मामले।	आलोच्य माह में धारा 198–ए (3) जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुए कुल मुकदमें	कुल मुकदमें (कालम–1 और कालम–2 का योग)	आलोच्य माह में कालम–3 के मुकदमों में से कितनों में		आलोच्य माह की अंतिम तिथि को पुलिस के पास विवेचनाधीन कुल मामले	कालम 3 के मुकदमों के अभियुक्तों की संख्या	अन्य विवरण
			आरोप-पत्र प्रेषित हुए	अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई			
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र–2 (ग) अभियोजन संबंधी

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के भूमि विवाद संबंधी जनपद की माह की सूचना

आलोच्य माह की पहली तारीख को न्यायालयों में धारा 198–ए (3) जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम के लम्बित पिछले कुल मुकदमें	आलोच्य माह में धारा 198–ए (3) जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम के न्यायालयों में प्रेषित कुल मुकदमें	न्यायालयों में लंबित कुल मुकदमें (कालम 1 और 2 का योग)	आलोच्य माह में कालम 3 के मुकदमों में से—								अन्य विवरण
			सजा हुए		रिहा हुए		सुलह हुए		माह के अन्त में न्यायालयों में लम्बित		
			संख्या मुकदमें	संख्या अभियुक्त	संख्या मुकदमें	संख्या अभियुक्त	संख्या मुकदमें	संख्या अभियुक्त	संख्या मुकदमें	संख्या अभियुक्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, सन् 1981)

[भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 और उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1—(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 कहा जायगा। **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

(2) धारा 8, अट्ठारह अगस्त, 1980 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 18, पहली जुलाई, 1976 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 2 से 6 और 11 से 13 और 26 तुरन्त प्रवृत्त होगी, और शेष उपबन्ध 10 नवम्बर, 1980 को प्रवृत्त समझे जायेंगे।

अध्याय—दो

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 122—ख में, उपधारा (1) से (4-ङ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्— **उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1951 की धारा 122—ख का संशोधन।**

"(1) जहां इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी गांव सभा या किसी स्थानिक आधिकारिकी में निहित किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी जाय या उसका दुर्विनियोजन किया जाय या जहां कोई गांव सभा या स्थानिक आधिकारिकी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा लेने या बनाये रखने का हकदार हो और ऐसी भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धों से भिन्न प्रकार से अध्यासन किया जाय, वहां, यथास्थिति, भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक आधिकारिकी सम्बद्ध असिस्टेंट कलेक्टर को नियत रीति से सूचना देगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सूचना से या अन्य प्रकार से असिस्टेंट कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी गयी है या उसका दुर्विनियोजन किया गया है या उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई भूमि इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति के अध्यासन में है, वहां वह सम्बद्ध व्यक्ति को यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी करेगा कि क्षति, दुर्विनियोजन या दोषपूर्ण अध्यासन के लिए ऐसी नोटिस में उल्लिखित प्रतिकर उससे क्यों न वसूल किया जाय या यथास्थिति, क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय।

(3) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा असिस्टेंट कलेक्टर इस निमित्त अनुमत करें, कारण न बताये या यदि बताया गया कारण अपर्याप्त पाया जाय तो असिस्टेंट कलेक्टर यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो और यह निदेश दे सकता है कि क्षति, दुर्विनियोजन या दोषपूर्ण अध्यासन के लिए प्रतिकर की धनराशि ऐसे व्यक्ति से मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जाय।

(4) यदि असिस्टेंट कलेक्टर की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुर्विनियोजन या दोषपूर्ण अध्यासन का दोषी नहीं है तो वह नोटिस को प्रभावोन्मुक्त कर देगा।

(4-क) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन असिस्टेंट कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर धारा 333 के खण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित आधारों पर कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।

(4-ख) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी नियत की जाय।

(4-ग) इस धारा के अधीन असिस्टेंट कलेक्टर का प्रत्येक आदेश, उपधारा (4-क) और (4-ङ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(4-घ) इस धारा के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश, उपधारा (4-ङ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(4-ङ) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में असिस्टेंट कलेक्टर या कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति में अपने द्वारा अध्यर्थित अधिकार को स्थापित करने के लिए सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में वाद दायर कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि असिस्टेंट कलेक्टर के किसी आदेश के विरुद्ध कोई ऐसा वाद दायर नहीं किया जा सकता यदि उपधारा (4-क) के अधीन कलेक्टर को पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद "कलेक्टर" का तात्पर्य यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर के रूप में नियुक्त अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत अपर कलेक्टर भी है।"

धारा 157-क, 157-ख और 157-ग का प्रतिस्थापन।

3--मूल अधिनियम की धारा 157-क के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा भूमि के संक्रमण पर प्रतिबन्ध

"157-क--(1) धारा 153 से 157 में निहित प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर या असामी को कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी जाति का न हो, विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे द्वारा संक्रमित करने का अधिकार न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर द्वारा ऐसा अनुमोदन नहीं दिया जायगा यदि संक्रमणकर्ता इस धारा के अधीन आवेदन-पत्र के दिनांक को उत्तर प्रदेश में 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि धृत करता हो या उक्त दिनांक को संक्रमणकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार धृत भूमि का क्षेत्रफल ऐसे संक्रमण के पश्चात् 1.26 हेक्टेयर से कम हो जाने की सम्भावना हो।

(2) नियत रीति से उस निमित्त प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जैसी नियत की जाय।

स्पष्टीकरण--इस अध्याय में, पद "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित आदिम जातियों" का क्रमश: तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से है।

157-ख--धारा 153 से 157 में निहित प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल बिना, अनुसूचित आदिम जाति के किसी भूमिधर या असामी को कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी आदिम जाति का न हो, विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे द्वारा संक्रमित करने का अधिकार न होगा ।

अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों द्वारा भूमि के संक्रमण पर प्रतिबन्ध

157-ग--अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का भूमिधर या असामी, धारा 157-क और 157-ख में निहित किसी बात के होते हुए भी, धारा 152 की उपधारा (3) में उल्लिखित परिस्थितियों में अपनी जोत या उसके भाग को कब्जा दिये बिना बन्धक रख सकता है ।"

कतिपय परिस्थितियों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य द्वारा जोत को बंधक रखना

4--मूल अधिनियम की धारा 163 निकाल दी जायगी ।

धारा 163 का निकाला जाना ।

5--मूल अधिनियम की धारा 166 और 167 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

धारा 166 और 167 का प्रतिस्थापन ।

"166--इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक संक्रमण शून्य होगा ।

167-(1) ऐसे प्रत्येक संक्रमण के सम्बन्ध में जो धारा 166 के कारण शून्य है, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्--

(क) संक्रमण के दिनांक से संक्रमण की विषय वस्तु को सभी भार से मुक्त राज्य सरकार में निहित समझा जायगा ;

(ख) संक्रमण के दिनांक को उस भूमि में विद्यमान वृक्ष, फसल और कुआं को, उक्त दिनांक से, सभी भार से मुक्त राज्य सरकार में निहित समझा जायगा;

(ग) संक्रमिती संक्रमण के दिनांक को ऐसी भूमि में विद्यमान अन्य चल सम्पत्ति को या किसी अचल सम्पत्ति की सामग्री को ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, हटा सकता है ।

(2) जहां कोई भूमि या अन्य सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार म निहित हो गई हो, वहां कलेक्टर को ऐसी भूमि या अन्य सम्पत्ति पर कब्जा लेना और यह निदेश देना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी भूमि या सम्पत्ति पर अध्यासन करने वाले किसी व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाय । ऐसा कब्जा लेने या ऐसे अप्राधिकृत अध्यासियों को बेदखल करने के प्रयोजनों के लिये कलेक्टर ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।"

6--मूल अधिनियम की धारा 169 में, उपधारा (2-क) में, शब्द, अंक और अक्षर "धारा 157-क" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 157-क और 157-ख" रख दिये जायेंगे ।

धारा 169 का संशोधन ।

7--मूल अधिनियम की धारा 197 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जायेगी, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

धारा 197 का संशोधन ।

"(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, किसी तालाब, पोखर या अन्य जलाच्छादित भूमि को किसी व्यक्ति को असामी के रूप में उठाने का अधिकार इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा ।"

8--मूल अधिनियम की धारा 198 में, उपधारा (4), (4-क) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

धारा 198 का संशोधन ।

"(4) कलेक्टर भूमि के किसी प्रदेशन से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर ऐसे प्रदेशन के संबंध में नियत रीति से जांच करेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसी जांच कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रदेशन अनियमित है तो वह प्रदेशन और पट्टा, यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है ।

(5) किसी प्रदेशन या पट्टा को उपधारा (4) के अधीन निरस्त करने के लिए कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा, जब तक कि उस व्यक्ति पर जिसके पक्ष में प्रदेशन या पट्टा दिया गया था या उसके विधिक प्रतिनिधियों पर, कारण बताने के लिए नोटिस तामील न कर दी जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रदेशन या पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाहियों में ऐसी नोटिस आवश्यक न होगी जहां ऐसी कार्यवाहियां 18 अगस्त, 1980 को कलेक्टर या किसी अन्य न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन रही हों ।

(6) उपधारा (5) में उल्लिखित कारण बताने के लिए प्रत्येक नोटिस--

(क) 10 नवम्बर, 1980 (जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है) के पूर्व किये गये भूमि प्रदेशन की स्थिति में उक्त दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व, और

(ख) उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् किये गये भूमि प्रदेशन की स्थिति में, ऐसे प्रदेशन या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व;

जारी की जा सकती है ।

(7) जहां किसी भूमि का प्रदेशन या पट्टा उपधारा (4) के अधीन निरस्त कर दिया जाय, वहां उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :--

(एक) ऐसी भूमि में प्रदेशन ग्रहीता या पट्टेदार या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार, हक और स्वत्व समाप्त हो जायेगा, और भूमि गांव सभा को प्रत्यावर्तित हो जायगी ;

(दो) कलेक्टर निदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि पर कब्जा रखने या बनाये रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् वह भूमि तत्काल गांव सभा के कब्जे में दे दी जाय और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।

(8) उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा ।

(9) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 में विनिर्दिष्ट कोई भूमि उक्त दिनांक के पूर्व किसी समय सीरदार या असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में उठाई गई हो, और उपधारा (3) में उल्लिखित अनुज्ञेय क्षेत्र के संबंध में परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के पूर्वानुमोदन से इस प्रकार उठाई गई हो, वहां इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में या उस प्रदेशन या पट्टे में, जिसके अधीन ऐसे व्यक्ति को वह भूमि उठाई गई थी, दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उक्त दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात--

(क) प्रदेशन ग्रहीता या पट्टेदार ऐसी भूमि का असामी समझा जायगा और यह समझा जायगा कि वह वर्षानुवर्ष उक्त भूमि धृत कर रहा है, और उपर्युक्त सीमा तक भूमि का प्रदेशन या पट्टा उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए अनियमित नहीं समझा जायगा;

(ख) ऐसी भूमि का प्रदेशन या पट्टा निरस्त करने के लिए कलेक्टर या किसी अन्य न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन कार्यवाहियां, यदि कोई हों, उपशमित हो जायेंगी ।"

धारा 198-क का संशोधन ।

9--मूल अधिनियम की धारा 198-क में,--

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"(1) जहां धारा 195 या 197 में निर्दिष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति को, चाहे असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर या असामी के रूप में प्रदिष्ट की जाय और प्रदेशनग्रहीता से भिन्न किसी व्यक्ति का इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि पर अध्यासन ह, वहां असिस्टेंट कलेक्टर प्रदेशन-ग्रहीता के आवेदन पत्र पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा और स्वप्रेरणा से

भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे"

(ख) उपधारा (2) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(क) 10 नवम्बर, 1980 के पूर्व किये गये किसी प्रदेशन की स्थिति में, उक्त दिनांक से तीन वर्ष के भीतर ;

(ग) उपधारा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायंगी, अर्थात्--

"(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुन: अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है किन्तु जो छ: मास से कम नहीं होगी और जुरमाने से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दंडनीय होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे जुरमाने की धनराशि वसूल हो जाय तो अभियुक्त को सिद्ध दोष करने वाला न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि जुरमाने का ऐसा भाग जैसा न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदेशनग्रहीता को दिया जाय ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय का, मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर, शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि--

(क) अभियुक्त का अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके उस भूमि पर अध्यासन है जिसके संबंध में ऐसी कार्यवाही है ; और

(ख) प्रदेशनग्रहीता ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है; वहां न्यायालय मामले का अंतिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है, और प्रदेशनग्रहीता को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है ।

(4-क) जहां किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्ध दोष किया जाय, वहां उपधारा (4) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश न्यायालय द्वारा पुष्ट किया जायगा ।

(4-ख) जहां किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुन: कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय, ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय ।"

10--मूल अधिनियम की धारा 201 में, शब्द और अंक "धारा 206 या 212" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 212" रख दिये जायेंगे । **धारा 201 का संशोधन ।**

11--मूल अधिनियम की धारा 204 में,-- **धारा 204 का संशोधन ।**

(क) शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे ;

(ख) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

"प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित आदिम जाति के किसी व्यक्ति द्वारा धृत किसी भूमि के संबंध में किसी असामी को कोई ऐसा अधिकार प्रोद्भूत न होगा"

धारा 210 का संशोधन।

12--मूल अधिनियम की धारा 210 में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

"प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित आदिम जाति के किसी भूमिधर या असामी द्वारा धृत भूमि के संबंध में खंड (क) से (ग) में उल्लिखित परिणाम नहीं होंगे।"

नयी धारा 211 का बढ़ाया जाना।

13--मूल अधिनियम की धारा 210 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य द्वारा धृत भूमि के अप्राधिकृत अध्यासियों को बेदखल करने का अधिकार।

"211 (1)--जहां अनुसूचित आदिम जाति के किसी खातेदार द्वारा धृत कोई भूमि ऐसे खातेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो, वहां असिस्टेंट कलेक्टर, इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे खातेदार के आवेदन-पत्र पर, या स्वप्रेरणा से अध्यासी को बेदखल करने के पश्चात् उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक समझे जायं।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात्, किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, किन्तु जो छः माह से कम नहीं होगी, और जुर्माना से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है किन्तु जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष करने वाला कोई न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को ऐसी भूमि या उसके किसी भाग से सरसरी तौर पर बेदखल करने के पश्चात् ऐसी भूमि का कब्जा खातेदार को दिलाया जाय और ऐसा व्यक्ति, किसी अन्य कार्यवाही पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सके, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बेदखल किया जा सकेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा।"

धारा 287-क का संशोधन।

14--मूल अधिनियम की धारा 287-क में, शब्द "किसी बकाया मालगुजारी" के स्थान पर शब्द "मालगुजारी की किसी बकाया" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 330 का संशोधन।

15--मूल अधिनियम की धारा 330 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्--

"(ग) अध्याय दस के अधीन मालगुजारी का निर्धारण या उसकी वसूली या मालगुजारी की बकाया की तरह वसूली योग्य किसी धनराशि की वसूली।"

अध्याय--तीन

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, सन् 1901 की धारा 33 का संशोधन।

16--यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 33 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"(4) उपधारा (1) के अधीन जब-जब वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जाय, कलेक्टर उसकी तैयारी के उपरान्त यथाशक्य शीघ्र, प्रत्येक उस व्यक्ति के निमित्त जो भूमिधर (चाहे संक्रमणीय अधिकार वाला हो या नहीं), असामी या सरकारी पट्टेदार अभिलिखित हो, एक जोत बही (पास-बुक) नियत रीति से और नियत शुल्क का (जो मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा) भुगतान करने पर, तैयार करायेगा और उसे दिलवायेगा जिसमें उसकी उन सभी जोतों के विषय में, जिनके संबंध में वह (चाहे

अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) उस प्रकार अभिलिखित है, वार्षिक रजिस्टर के ऐसे उद्धरण होंगे जिन्हें नियत किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त जोतों की स्थिति में, इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा कि जोत बही (पास-बुक) अभिलिखित सह अंशधारियों में से केवल ऐसे एक या एकाधिक को जो नियत किये जांय, दी जाय ।

स्पष्टीकरण—जोत बही (पास-बुक) किसी खातेदार की, भूमिधर, (चाहे वह संक्रणीय अधिकार वाला हो या नहीं), असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में उसके द्वारा धृत भूमि के संबंध में समस्त जोतों के लिये संहत पास-बुक होगी ।"

17—मूल अधिनियम की धारा 183 मे, शब्द "किसी बकाया मालगुजारी" के स्थान पर शब्द "मालगुजारी की किसी बकाया" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे । धारा 183 संशोधन ।

अध्याय—चार

जौनसार बावर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 का संशोधन

18—जौनसार बावर जमींदारी—विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 36 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1956 की धारा 36 का संशोधन ।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परगने के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 245 निम्नलिखित परिष्कारों के साथ लागू होगी, अर्थात्—

(एक) डेढ़ एकड़ भूमि की गणना एक एकड़ के रूप में की जायगी ;

(दो) किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के संबंध में जिसमें इस अधिनियम के अध्याय दो के अधीन किये गये बन्दोबस्त पर स्वीकृत लगान की अधिकतम दरें एक रुपया प्रति एकड़ से अधिक न हों, उक्त धारा 245 की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के खण्ड (i) में आये हुए शब्द "पांच रुपये" और "दस रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "तीन रुपये" और "पांच रुपये" रख दिये जायेंगे, और उसके खण्ड (ii) में, शब्द "दस रुपये" और "बीस रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "छः रुपये" और "दस रुपये" रख दिये जायेंगे ।"

अध्याय—पांच

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

19—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 48 में, उपधारा (1) में, शब्द "प्राधिकारी द्वारा दी गई" के पश्चात् शब्द "अन्तर्बर्ती आज्ञा से भिन्न" रख दिये जायेंगे । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1954 की धारा 48 का संशोधन ।

20—मूल अधिनियम की धारा 49 में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्— धारा 49 का संशोधन ।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि के संबंध में जिस पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी गांव सभा को कब्जा दिया गया हो, या दिया गया समझा जाय, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122-ख के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ करने से असिस्टेंट कलेक्टर को प्रवारित नहीं करेगी ।"

अध्याय—छः

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का संशोधन

21—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 में,— उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, सन् 1961 की धारा 27 का संशोधन ।

(एक) उपधारा (6) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(क) 10 नवम्बर, 1980 के पूर्व किये गये किसी बन्दोबस्त या दिये गये किसी पट्टे की स्थिति में, उक्त दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व, और

(ख) उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् किये गये किसी बन्दोबस्त या दिये गये किसी पट्टे की स्थिति में, ऐसे बन्दोबस्त या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व;"

उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्--

(दो) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्--

"(6-क) जहां किसी रिक्त भूमि का बन्दोबस्त उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर द्वारा किया गया हो, और जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया हो उससे भिन्न किसी व्यक्ति का ऐसी भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में अध्यासन हो, वहां कलेक्टर उस व्यक्ति के जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था, आवेदन पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ।

(6-ख) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, किन्तु जो छः मास से कम नहीं होगी और जुरमाने से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे जुर्माने की धनराशि वसूल हो जाय तो अभियुक्त को सिद्ध दोष करने वाला न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि जुर्माने का ऐसा भाग जैसा न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में उस व्यक्ति को दिया जाय जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ।

(6-ग) जहां उपधारा (6-ख) के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय का मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर, शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि--

(क) अभियुक्त का अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके उस भूमि पर अध्यासन है जिसके संबंध में ऐसी कार्यवाही है, और

(ख) वह व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ऐसे भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है ।

वहां न्यायालय मामले का अन्तिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है, और उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है ।

(6-घ) जहां किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाय, वहां उपधारा (6-ग) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश न्यायालय द्वारा पुष्ट किया जायगा ।

(6-ङ) जहां किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय ।

(6-च) उपधारा (6-ख) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।"

अध्याय-सात

उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 52, सन् 1976 की धारा 2 का संशोधन।

22--उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है धारा 2 में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(कक) "अनुसूचित ग्राम" का तात्पर्य अन्तरित राज्य क्षेत्रों में समाविष्ट और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्राम से है ;"

धारा 3 का संशोधन ।

23--मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द "अनुसूची" के स्थान पर शब्द "प्रथम अनुसूची" रख दिये जायेंगे ।

24--मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्-- नई धारा 3-क का बढ़ाया जाना।

"3-क (1) जहां कोई व्यक्ति जिसका 15 अक्तूबर, 1976 को और इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक को भी किसी अनुसूचित ग्राम में स्थिति किसी भूमि पर अध्यासन रहा है और वह भूमि ऐसी भूमि है जिस पर उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 132 के उपबन्ध-- कतिपय अध्यासियों को भौमिक अधिकार प्रदान करना।

(क) लागू होते हैं वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से सम्बद्ध गांव सभा की ओर से भूमि धारण करने वाला असामी हो जायेगा और हो गया समझा जायेगा ;

(ख) लागू नहीं होते हैं, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से, ऐसी भूमि के संबंध में संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायगा और हो गया समझा जायगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

25--मूल अधिनियम की वर्तमान अनुसूची को पुनः संख्यांकित करके उसकी प्रथम अनुसूची कर दी जायगी, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रथम अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी ; अर्थात्-- द्वितीय अनुसूची का बढ़ाया जाना।

"द्वितीय अनुसूची

(धारा 3-क देखिए)

अनुसूचित ग्रामों के नाम

1--भिखनपुरा या भिखारीपुरा	16--नौबरार 1873 मुतल्लिका बेलसीपाह
2--शाहपुर दिघवारा	17--नौबरार (1) मुतल्लिका सरबनपुर
3--आराजी माफी अजोरपुर	18--नौबरार (1) मुतल्लिका पलिया
4--शिवपुर गंगबरार	19--सोभापुर
5--बिजौरा गंगबरार	20--पड़री
6--सीतलपट्टी गंगबरार	21--पैकोली
7--चतुरभुजतरी गंगबरार	22--असमानपुर
8--गोविन्दपुर गंगबरार	23--गोविन्दपुर
9--डांगराबाद	24--चतुरभुजपुर
10--बुलापुर	25--अलखदियरा
11--हरदेव छपरा	26--पोखरा
12--हरसेवक छपरा	27--टौला बड़े बाबू
13--चौबे छपरा	28--तुलापुर (2) पोरसन
14--कवलापति छपरा उर्फ दुबे छपरा	29--दुर्जनपुर
15--नौबरार (1) मुतल्लिका बेलसीपाह	30--उधोपुर"

अध्याय-आठ

प्रकीर्ण

26--उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 में किसी बात के होते हुए भी-- संक्रमणकालीन उपबन्ध।

(क) उक्त अधिनियम की धारा 122-ख जैसी कि वह इस धारा के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, के अधीन सभी कार्यवाहियां जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को किसी अधिकारी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन थी, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निस्तारित की जायेंगी मानों यह अध्यादेश प्रख्यापित न किया गया हो ;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 198 जैसी कि वह 10 नवम्बर, 1980 को थी, के अधीन किसी भूमि के प्रदेशन या पट्टा के निरसन की सभी कार्यवाहियां जो उक्त दिनांक को किसी न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन थीं, इस अध्यादेश के प्रख्यापन के दिनांक को ऐसे न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन समझी जायेंगी और तदनुसार ऐसा न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकारी इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसी कार्यवाहियों का निस्तारण करने के लिए सक्षम होगा।

चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।